विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/755

दिनांक : 01/04/19

प्रति,

प्राचार्य,
महाराजा महाविद्यालय,
अभिलाषा कॉलोनी के पास,देवास रोड़,उज्जैन।

विषय :— विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— महाविद्यालय का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU1901240001,दिनांक 24.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 12.03.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 27.03.2019 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें समिति द्वारा अनुशसा की गई कि, "महाराजा महाविद्यालय,देवास रोड़,उज्जैन में सत्र 2019—20 में त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बी.एड.एम.एड.—प्रथम वर्ष, की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019—20 में उपरोक्त पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये।" समिति द्वारा की गई अनुशसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019—20 से प्रदान की जाती है :—

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.एम.एड.—प्रथम वर्ष(त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	50

शर्ते :—01. पाठ्यक्रम हेतु 05 शिक्षकों की परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत नियुक्ति की जाये।
02. ऑफीस मैनेजर, फिल्ड को आर्डीनेटर एवं हेल्पर की नियुक्ति की जाये।
03. हेल्थ और फिजीकल एज्यूकेशन केन्द्र को और अपग्रेड किया जाये।
04. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 15(पन्द्रह) नये कम्प्यूटर क्रय कर रखे जाये। वार्षिक सम्बद्धता शुल्क संबंधित से सत्यापन कराया जाये।
05. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम हेतु 300(तीन सौ) किताबे नवीनसंस्करण(न्यू एडीशन) की क्रय कर रखी जाये।

* **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**
* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की आगामी कक्षा की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**
* **नवीन पाठ्यक्रम हेतु परिनियम क्रमांक 28 भाग 02 के बिन्दु 3(सी) के अनुसार एण्डोमेंट राशी रू. 50,000/—(अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) की एफ.डी.आर (कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के संयुक्त नाम से) बनवाकर पन्द्रह दिवस में मूल एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा कर रसीद की प्रति सम्बद्धता विभाग में जमा करावे।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

दिनांक : 01/0...

//2//

...मक / सम्बद्धता / 2019 / 756

...पें:—

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन,श्यामला हिल्स,भोपाल।
4. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,शा.कालिदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उ...
7. समन्वयक,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय व... पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। ...की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव...